कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन एवं लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तुओं पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के आशुचित्र के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजट उद्देश्यों के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय प्रक्षेपण, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) (मौजूदा कीमतों पर) 10.40 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से 2019-20 में ₹ 3,10,305 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 4,61,010 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 10.54 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. से 2019-20 में ₹ 94,765 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,41,499 करोड़ हो गया।

2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.डी.पी. में 10.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ 9.57 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022-23 में 19.23 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 19.07 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 11.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। झारखण्ड राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) पिछले वर्ष से 19.58 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,908 करोड़ से ₹ 1,01,537 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2022-23 से 14.99 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व अधिशेष 2022-23 की तुलना में 17.04 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए ₹ 13,563.59 करोड़ से घटकर 2023-24 मे ₹ 11,252.08 करोड़ हो गया। उसी अवधि के लिए राजकोषीय घाटा 2022-23 में ₹ 4,616.73 करोड़ से 37.15 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 6,331.76 करोड़ हो गया।

प्राप्तियाँ एवं व्यय

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि राज्य का अपना कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान एवं हस्तांतरण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते के व्यय के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (परिसंपत्ति निर्माण, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) भी शामिल है।

2019-20 से 2023-24 तक राजस्व प्राप्तियाँ 10.76 प्रतिशत सीएजीआर के साथ ₹ 58,417 करोड़ से बढ़कर ₹ 87,929 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ भी ₹ 9,642 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,524 करोड़ हो गईं। केंद्र सरकार से हस्तांतरण 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 19 प्रतिशत से बढ़ा। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार के सहायता अनुदान का हिस्सा 2019-20 में 21.06 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 10.40 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,266.71 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर और पिछले दायित्वों के भुगतान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा तंत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। शुद्ध रूप से 2019-20 और 2023-24 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 56,457 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 18.19 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 76,676 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 16.63 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (76 से 85 प्रतिशत) बन गया, जो 7.95 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. से बढ़ रहा था।

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा/अधिशेष होता है। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2019-20 में ₹ 1,960 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 0.63 प्रतिशत) से चालू वर्ष में बढ़कर ₹ 11,252 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.44 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने केवल पूँजीगत लेखा पर ₹ 20,570 करोड़ मात्र खर्च किए। यह वर्ष 2023-24 में कुल व्यय का 20.26 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 6,554 करोड़ की वृद्धि के कारण 2023-24 में पूँजीगत व्यय से जी.एस.डी.पी. अनुपात 4.46 प्रतिशत था, जबकि राज्य के कुल बजट (₹ 1,41,499 करोड़) के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 14.54 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 में ₹ 8,035 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.59 प्रतिशत) से घटकर 2023-24 में ₹ 6,332 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 1.37 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के तहत, प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला प्रभार होता है तथा इसमें ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल होता है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 (43 प्रतिशत) और 2023-2024 (41 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 41-44 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 6.92 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. पर बढ़ा अर्थात् 2019-20 में ₹ 24,095 करोड़ से 2023-24 में ₹ 31,487 करोड़ तक बढ़ा {2022-23 (₹ 28,893 करोड़) की तुलना में 8.98 प्रतिशत की वृद्धि}।

प्रतिबद्ध व्यय के अलावा, 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच अनम्य व्यय में उतार-चढ़ाव हुआ। अनम्य व्यय 2022-23 में ₹ 8,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 10,071 करोड़ हो गया, जिसमें 25.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, अनम्य व्यय ₹ 7,254 करोड़ से बढ़कर ₹ 10,071 करोड़ हो गया।

कुल मिलाकर, 2023-24 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 41,558 करोड़; राजस्व व्यय का 54 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूँजीगत निर्माण के लिए कम लचीलापन छोड़ती है।

सब्सिडी पर व्यय

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी की राशि 2019-20 में ₹ 4,275 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 5,653 करोड़ हो गई, जो 2023-24 में घटकर ₹ 4,831 करोड़ हो गई। सब्सिडी 2019-20 में कुल राजस्व व्यय का 7.57 प्रतिशत और 2023-24 में 6.30 प्रतिशत थी। 2023-24 के दौरान बिजली पर सब्सिडी (₹ 2300 करोड) कुल सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (48 प्रतिशत) थी।

आकस्मिक देयताएं

2023-24 में, सरकार ने ₹ 4,998.38 करोड़ के उधार के विरुद्ध गारंटी प्रदान की। वर्ष के दौरान, कोई गारंटी लागू नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) का प्रत्यावर्तन अधिसूचित किया था। ओपीएस के कार्यान्वयन के कारण आसन्न वित्तीय बोझ को भी राज्य की ऋण स्थिरता का आकलन करते समय संगणित किया जाना चाहिए।

राजकोषीय संधारणीयता

राजकोषीय संधारणीयता की जांच मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों जैसे कि घाटे, ऋण का स्तर और देनदारियां, ऑफ-बजट उधार, गारंटी, सब्सिडी आदि के कारण प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय की तुलना का

संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं तथा अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाले, रक्षित निधियों में स्थानांतरण, स्थानीय निकायों में स्थानांतरण, इत्यादि भी शामिल है।

एफ.आर.बी.एम. आवश्यकताएं और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिनके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में ऋण और पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गारंटी शामिल हैं। 2023-24 में, राज्य के पास राजस्व अधिशेष 2.44 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 3.00 प्रतिशत की सीमा की तुलना में 1.37 प्रतिशत था और 30.60 प्रतिशत की सीमा की तुलना में ऋण 27.68 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, राज्य सरकार की बकाया देनदारियाँ 2019-20 में ₹ 94,406.60 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,27,608.51 करोड़ हो गई। राज्य का कुल ऋण-जीएसडीपी अनुपात जो 2019-20 में 30.42 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.23 प्रतिशत हो गया था, यह 2021-22 से घटता रहा और 2023-24 में पाँच साल के निचले स्तर 27.68 प्रतिशत पर पहुँच गया।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था, और डोमार गैप उस अवधि के दौरान नकारात्मक था जो धीमी आर्थिक वृद्धि का संकेत था। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, प्राथमिक अधिशेष के साथ डोमार गैप सकारात्मक था जो स्थिर आर्थिक स्थितियों को इंगित करता है जिससे लोक बचत की ओर अग्रसर हुआ। नवीनतम जीएसडीपी श्रृंखला के अनुसार, 2021-22 के दौरान, 2020-21 (कोविड वर्ष) के निम्न आधार के कारण वास्तविक आर्थिक प्रगति उच्चतम (12.02 प्रतिशत) था, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सकारात्मक डोमार अंतर (9.20 प्रतिशत) रहा।

बजट प्रदर्शन

समग्र व्यय परिणाम

बजटीय इरादे और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट प्रदर्शन की जाँच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक अधिशेष और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व अनुभाग में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.48 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, पाँच अनुदानों में (+/-) 50 *प्रतिशत* से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 1.51 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के

बीच, सात अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 *प्रतिशत* के बीच और पांच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 20 अनुदानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट प्रदर्शन यह भी देखता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुन: आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में कितना योगदान दिया है। यह उपाय अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता को इंगित करता है। राजस्व अनुभाग में, आरई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 24.99 प्रतिशत था। यह 32 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग में, आरई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 18.13 प्रतिशत था। यह 38 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, 12 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 19 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 57 मामलों में ₹ 13,499.10 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया था।

यह देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं हुआ था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रक्रिया की आवश्यकता है।

लेखों और वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता

लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन वस्तुओं, लेन-देन और घटनाओं को शामिल करती है जो अनुपालन में अंतर, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन रिकॉर्ड या समायोजन रिकॉर्ड की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह खातों और वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों जैसे कि सरकारी खातों के बाहर रखा धन, देनदारियों का गैर या कम भुगतान तथा लेनदेन और डेटा अंतर का गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालता है।

अनुदान/विनियोजन से अधिक का नियमितीकरण

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोजन पर अधिकता का नियमितीकरण प्राप्त करना होता है। यह देखा गया कि 2023-24 में, एक विनियोग के तहत ₹ 268.02 करोड़ का

अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक 10 अनुदानों से संबंधित ₹ 3,778.41 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी नियमित किया जाना शेष है।

आईजीएएस का अनुपालन

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आंशिक रूप से आईजीएएस-2: सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण और आईजीएएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का अनुपालन किया।

पी.डी. खातों का प्रचालन

झारखण्ड में, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पीडी खाते खोले गए। ये सभी खाते चालू हैं और वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2,368.79 करोड़ के प्रारंभिक शेष में ₹ 1,187.22 करोड़ की राशि जोड़ी गई थी। इन पी.डी. खातों में कुल जमा राशियों में से, वर्ष के दौरान ₹ 346.31 करोड़ का वितरण किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 3,209.70 करोड़ शेष रहा।

एकल नोडल एजेंसी को निधि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। राज्य सरकार की सूचना के अनुसार उनके ट्रेजरी खातों में 2023-24 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 6,439.24 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने ट्रेजरी खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से में से ₹ 6,545.59 करोड़ और राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 8,477.76 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित किया। इस संबंध में कोई और विवरण/दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया। सी.जी.ए./एस.एन.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 6,276.70 करोड़ अव्ययित पड़े थे।

सशर्त अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र

निर्धारित समय अवधि के भीतर सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,33,161.50 करोड़ के 47,367 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने से धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग का खतरा बना रहता है।

ए.सी. विपत्र के विरुद्ध डी.सी. विपत्र

इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिकता (ए.सी.) विपत्र के माध्यम से निकाली गई अग्रिम राशि के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिकता (डी.सी.) विपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता

के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 4,891.72 करोड़ के 18,011 ए.सी. विपत्र डी.सी. विपत्र प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे। निकाले गए अग्रिमों का समायोजन न करना अपव्यय/गबन/दुष्कृत आदि की संभावना को बढाता है।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन, विचलन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समय पर जमा न करना; ए.सी. विपत्र के विरुद्ध डी.सी. विपत्र जमा न करना; आई.जी.ए.एस.-2 एवं आई.जी.ए.एस.-3 का अनुपालन न करना; सरकारी खातों से बाहर शेष धनराशि; और एसएनए से व्यय के विवरण प्रस्तुत नहीं करने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।